

प्रमोशन में एपीआई स्कोर के प्रारूप में बदलाव एसोसिएट प्रोफेसर के लिए पीएचडी अनिवार्य होगी

हायर एजुकेशन में भर्ती और प्रमोशन पर यूजीसी के नए नियम लागू

जयपुर। यूजीसी के नए नियम 2018 को गजट नोटिफिकेशन में शामिल कर लिया गया है। अब विश्वविद्यालय और कॉलेज शिक्षकों को नए नियम-कायदों के हिसाब से काम करना होगा। इसी आधार पर अब विश्वविद्यालय और कॉलेजों में भर्तियां होगी और प्रमोशन मिलेगा। नए नियमों के अनुसार ओरिएंटेशन प्रोग्राम कैरियर एडवांसमेंट स्कीम यानी सीएएस में बाधा नहीं बनेगा। एसोसिएट प्रोफेसर पद पर प्रमोशन में पीएचडी अनिवार्य रहेगी।

प्रमोशन के लिए एपीआई स्कोर के मार्किंग पैटर्न में भी बदलाव करते हुए इसे सरल बनाया गया है। एपीआई के तहत किताब छपने के अंक 25 से 50 है, जिसे घटाकर 10 से 15 कर दिया है।

उधर रूक्ता राष्ट्रीय ने यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति नियम में बदलाव किए जाने के मामले में मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और यूजीसी अध्यक्ष धन्यवाद दिया है। रूक्ता (राष्ट्रीय) के अध्यक्ष डा दिग्विजय सिंह ने सीएम वसुंधरा राजे से उच्च शिक्षा में कार्यरत शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग का लाभ देने की मांग की है।